R-331
12.07.22

पत्र संख्या–सी0 / विधान–01 / 2010–1353 / जे0

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, रॉची–834004

प्रेषक,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

महानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची।
न्यायायुक्त, राँची।
सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखंड।

रॉची, दिनांक–05 जुलाई, 2022

विषयः– दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2020 एवं कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 के झारखंड गजट की प्रति के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित (1) दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2020 एवं (2) कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
05/07/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

Seen. Circulate among all concerned for needful.

PDJ
12/07/22

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 283 राँची, बुधवार, 15 जून, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2011-136—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-**24/05/2022** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 06, 2022)

झारखंड राज्य में अनुप्रयोग हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) में और संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-**

   (1) यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।
   (2) इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा ।
   (3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके पश्चात् संहिता कहा जाएगा) की धारा-299 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को शीर्षक सहित निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"299. अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षण एवं विचारण-(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए वाद का विचारण सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जारी रहेगा एवं न्यायालय किसी गवाह, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित हो गया हो को पुनः बुलाने या सुनने के लिए या पूर्व में पूर्ण की गई कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नही होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनायेगा।

परंतु यह कि न्यायालय फरार अभियुक्त के बचाव के लिए राज्य के व्यय पर एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः- अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण में फरार अभियुक्त के विरूद्ध यथास्थिति आरोप का गठन या अभियोग सारांश की व्याख्या सम्मिलित होगा।"

3. उपर्युक्त उपधारा (1) के पश्चात् संहिता में एक नई उप-धारा निम्नवत् अंतःस्थापित की जाएगीः-

"(1) अ- संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है और जमानत पर या प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र पर मुक्त किया गया है, न्यायालय में बिना पर्याप्त कारण के जमानत या बंध पत्र के शर्तो के अधीन उपस्थित होने में असफल होता है, तो अभियुक्त को सम्मन तामिल के पश्चात् न्यायालय जाँच या विचारण उसकी अनुपस्थिति में कर सकेगा तथा न्यायालय किसी गवाह को पुनः बुलाने या सुनने, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित किया जा चुका हो, या पूर्व में पूर्ण की गई कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

			अधिकतम 300000/- (तीन लाख) रूपये
4	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अधिनियम 1889 के अधीन प्रमाण पत्र		मद संख्या-3 के अनुसार प्रमाण-पत्र में वर्णित मूल्य के अनुसार

अनुसूची-II
नियत फीस

क्र०सं०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	(i)आवेदन या अर्जी	जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अथवा राजस्व पदाधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न दिवानी या फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो तथा जिसके सम्बन्ध में अन्यथा उपबंधित न हो	20/- (बीस) रूपये
	(ii) जब उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो	संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत (क)सामान्य आवेदन दायर करने हेतु (ख) जनहित याचिका दायर करने हेतु (ग) अन्य आवेदनों पर	500/- (पांच सौ) रूपये 1000/- (एक हजार) रूपये 250/- (दो सौ पचास) रूपये
	(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-115 अंतर्गत सिविल संशोधन या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सह पठित धारा 399/401 अंतर्गत अपराधिक संशोधन		250/- (दो सौ पचास) रूपये
2	दुसरे न्यायालय से अभिलेखों को मंगाने के लिए आवेदन		50/- (पचास) रूपये
3	अकिंचन के रूप में वाद चलाने या अकिंचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन		20/- (बीस) रूपये
4	अधिभोग के अधिकार को स्थापित या साबित करने के लिए वाद पत्र या अपील का ज्ञापन		100/- (सौ) रूपये
5	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किसी धारा के अधीन न्यायालय या		20/- (बीस) रूपये

	मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया किसी आदेश के अनुपालन में दिया गया जमानत पत्र या अन्य बाह्य लिखित और जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नही है।		
6	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन वचनबद्ध		100/- (एक सौ) रूपये
7	शपथ पत्र	(i)उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii)उच्च न्यायालय में	20/- (बीस) रूपये 30/- (तीस) रूपये
8	वकालतनामा	(i)उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii)उच्च न्यायालय में	30/- (तीस) रूपये 50/- (पचास) रूपये
9	किसी निर्णय, डिक्री, आदेश कार्यवाही, या कार्यवाही के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति आदि		10/- (दस) रूपये प्रति पृष्ठ
10	केवियट		100/- (एक सौ) रूपये
11	आदेश पर पुनर्विचार हेतु आवेदन		500/- (पांच सौ) रूपये
12	अपील का ज्ञापन जब अपील किसी डिक्री या किसी डिक्री का बल प्राप्त के विरुद्ध न हो, प्रस्तुत किया जाए	(i)उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य किसी सिविल न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय या किसी कार्यपालक के पदाधिकारी अथवा मुख्य नियंत्रि राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी को (ii)उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रि कार्यपालक या राजस्व प्राधिकार को	50/- (पचास) रूपये 100/- (एक सौ) रूपये
13	निम्नांकित वाद में वाद पत्र या अपील का ज्ञापन	(i)किसी सिविल न्यायालय का संक्षिप्त निर्णय या आदेश जो लेटर्स पेटेंट या किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा स्थापित न हो, को परिवर्तित या अपास्त करने के लिए (ii)राजस्व संपदाओं के स्वत्वधारियों के नामो के रजिस्टर	500/- (पांच सौ) रूपये 500/- (पांच सौ) रूपये

		में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रद्द करने के लिए (iii)जहां कोइ पारिश्रमिक राहत प्रार्थित नही हो, वहां घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए (iv)किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए (v)किसी दत्तक ग्रहण को अपास्त करने के लिए (vi) जहां विवादाग्रस्त विषयवस्तु का धन-मूल्य प्राक्कलित करना सम्भव नही हो और इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नही हो, वहां प्रत्येक अन्य वाद के लिए	1000/- (एक हजार) रूपये 1000/- (एक हजार) रूपये 1000/- (एक हजार) रूपये 1000/- (एक हजार) रूपये
14	सिविल प्रक्रिया संचिता-1908 के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का उल्लेख करते हुए लिखित करार		200/- (दो सौ) रूपये
15	(i)भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 44 के अधीन अर्जियों को छोडकर इसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक अर्जी तथा इसी अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपील का प्रत्येक ज्ञापन (ii) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1865 के अधीन वाद पत्र या अपील का ज्ञापन		500/- (पांच सौ) रूपये 500/- (पांच सौ) रूपये

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-11/2021-114—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- **10/02/2022** को अनुमत **कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2021

(Jharkhand Act, 03, 2022)

An Act to Amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand the Seventy Two Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-
   i) This Act, may be called "The Court Fees (Jharkhand Amendment), 2021"
   ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
   iii) It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.

PART-A

2. Substitution of Schedule I and II appended to the Court Fees Act, 1870- The schedule I and II appended to the Court Fees Act 1870 shall be substituted by the following schedule:-

Schedule-I
Advalorem Fees

Table of rate of Advalorem Fees Leviable on Institution of suits

No.	Subject	Description	Rates
1	Plaint, written statement, pleading of an adjustment or counter claim or memorandum of appeal or a cross objection, or plaint or memorandum of appeal to set aside an award not otherwise provided in this Act, presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in Section-3.	When the amount or value of the subject matter in dispute-	
		(i) up to Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand)	15% of the amount or value
		(ii) exceed Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) but does not exceed Rs. 5,00,000/- (Rupees five lac).	Rs. 4,500/- (Rupees four thousand five hundred) + 10% of amount or value exceeding Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand).
		(iii) exceeds Rs. 5,00,000/- (five lac) but does not exceed Rs. 20,00,000/- (twenty lac).	Rs. 51,500 (fifty one thousand five hundred) + 5% of amount or value exceeding Rs. 5,00,000/- (five lac).

		(iv) exceeds Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac) but doesn't exceed Rs. 1 (one) crore.	Rs. 1,26,500 (Rupees one lac twenty six thousand five hundred) + 1% of the amount or value exceeding Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac).
		(v) exceeds Rs. 1 (one) crore	Rs. 2,06,500/- (Rupees two lac six thousand five hundred) + ½% of the amount or value exceeding Rs. 1 (one) crore. Maximum Rs. 3,00,000/- (rupees three lac.)
2	Plaint in a suit for possession under Section 6 of Specific Relief Act, 1963.		According to rates as prescribed in item no.1.
3	Probate of a will or letters of administration with or without will annexed.		10% of the amount or value [minimum Rs. 500/- (Rupees five hundred) & maximum Rs. 3,00,000/- (Rupees three lac)].
4	Certificate under the Succession Certificate Act, 1889.		As prescribed in item no. 3 on amount or value indicated on certificate.

Schedule-II
Fixed Fees

No.	Subject	Description	Fee
1	(1) Application or petition	When presented to an administrative or revenue officer of State Government or Central Government or local body or in a civil or criminal or small cause court other than High Court and which is not otherwise provided-	Rs. 20/- (Rupees twenty)
	(2) When presented to the High Court-	(i) Under Article 226, 227 or under Article 226 and 227 of the Constitution-	
		(a) To file a general application.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(b) To file a Public Interest Litigation.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(ii) On other applications	Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
	(3) Application for Civil Revision under Section 115 of Civil Procedure Code or Criminal Revision under Section 397 read with Section 399/401 of Criminal Procedure Code.		Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
2	Application to call for records from any other Court.		Rs. 50/- (Rupees fifty).

3	Application for leave to sue as a pauper or for leave to appeal as pauper.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
4	Plaint or memorandum of appeal to establish or prove a right of occupancy.		Rs. 100/- (Rupees one hundred)
5	Bail Bond or other instruments of obligation given in pursuance of any order made by a Court or Magistrate under any section of the Code of Criminal Procedure, 1973 or the Code of Civil Procedure, 1908 and not otherwise provided by this Act.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
6	Undertaking under Section 49 of the Indian Divorce Act, 1869 (4 of 1869).		Rs. 100/- (Rupees one hundred
7	Affidavit	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 20/- (Rupees twenty Rupees
		(ii) In the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty).
8	Vakalatnama	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty)
		(ii) In the High Court.	Rs. 50/- (Rupees Fifty)
9	All kinds of copies of any judgement, decree, order, proceeding, the documents filed in a proceeding etc.		Rs. 10/- (Rupees ten) per page.
10	Caveat		Rs. 100/- (Rupees one hundred
11	Application for review of judgement.		Rs. 500/- (Rupees five hundred only.
12	Memorandum of Appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of a decree and is presented.	(a) To any Civil Court other than a High Court, or to any Revenue Court, or Executive Officer, other than the High Court or Chief Controlling Revenue or Executive Authority.	Rs. 50/- (Rupees fifty).
		(b) To High Court or Chief Controlling Executive or Revenue Authority.	Rs. 100/- (Rupees one hundred
13	Plaint or Memorandum of Appeal in each of the following suits:-	(i) To alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts (not established by Letters Patent or not a Revenue Court)	Rs. 500/- (Rupees five hundred

		(ii) To alter or cancel any entry in a register of the names of proprietors of revenue paying estates.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(iii) To obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(iv) To set aside an award.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(v) To set aside an adoption.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(vi) For every other suit where it is not possible to estimate at a money value the subject matter in dispute and which is not otherwise provided for by this Act.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
14	Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908.		Rs. 200/- (Rupees two hundred).
15	(1) Every petition under the Indian Divorce Act, 1869 except under Section 44 of the same Act and every Memorandum of Appeal under Section 55 of the same Act.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).
	(2) Plaint or Memorandum of Appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1865.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 73 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 73 राँची, शुक्रवार, 25 फरवरी, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-11/2021-113—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**11/02/2022** को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-03, 2022)

झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के प्रवर्तन को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो |

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ :-

   क) यह अधिनियम कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 कहा जा सकेगा |

   ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा |

   ग) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा |

खंड – "क"

2. कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II का प्रतिस्थापन :-

कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II को निम्नवत प्रतिस्थापित की जायेगी :-

अनुसूची-I

मूल्यानुसार फीस

क्र०स०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	धारा 3 में उल्लिखित के सिवाए किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वैसा वाद पत्र, लिखित कथन, किसी मूल्य या प्रतिदावा का अभिवचन अथवा किसी पंचाट को अलग रखने हेतु अपील या प्रत्याक्षेपों का आपन जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो	जब विवादग्रस्त विषयवस्तु का रकम या मूल्य (i)30,000/-(तीस हजार) रूपये तक हो (ii)30,000/-(तीस हजार) रूपये से अधिक किन्तु 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये से अधिक नही हो (iii) 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये से अधिक नही हो (iv) 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रूपये से अधिक नही हो (v) 1 करोड़ रूपये से अधिक हो	(i)मूल्य का 15 प्रतिशत (ii) 4500/- रूपये (चार हजार पांच सौ) + 30,000/- (तीस हजार) रूपये से अधिक मूल्य का 10 प्रतिशत (iii) 51500/- रूपये (इकावन हजार पांच सौ) + 500,000/- (पांच लाख) रूपये से अधिक मूल्य का 5 प्रतिशत (iv)126500/- (एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ) रूपये + 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये से अधिक मूल्य का 1 प्रतिशत (v) 206500 (दो लाख छः हजार पांच सौ) रूपये + 1 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का ½ (आधा) प्रतिशत अधिकतम 300000 (तीन लाख) रूपये
2	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, की धारा 6 के अधीन कब्जा के लिए किसी वाद में वाद पत्र		मद संख्या-1 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार
3	विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र, विल उपाबद्ध करने के साथ या उसके बिना		मूल्य का 10 प्रतिशत न्यूनतम 500/- (पांच सौ) रूपये तथा

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2011-137—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति दिनांक-**24/05/2022** को अनुमत **दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) Act, 2020
(Jharkhand Act - 06, 2022)

An Act to further amend the Code of Criminal Procedure,1973 (Act No.-2 of 1974) in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the Seventy One Year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extent and Application-

   (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) Act, 2020

   (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. The existing provision of sub section (1) of Section 299 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter referred as the Code) alongwith its heading shall be substituted as follows:-

"**299. Inquiry and Trial in absence of accused :-** (1) Notwithstanding anything contained in the Code, if it is proved that an accused person has absconded, and there is no immediate prospect of arresting him, trial of the case shall proceed in absentia in the Court of competent jurisdiction for the offence complained of and the Court shall not be bound to recall or rehear any witness, whose evidence has already been recorded or to reopen proceedings already held, but may act on the evidence already produced or recorded and continue the trial from the stage which the case has reached and pronounce Judgment at the conclusion of the trial.

Provided that the Court may assign a pleader for the defence of the absconding accused at the expense of the State.

Explanation : The trial in absentia shall include framing of charges or explaining the substance of accusation, as the case may be against the absconding accused"

3. After above sub section (1) a new sub section shall be inserted in the Code as follows:-

"(1) A - Notwithstanding anything contained in the Code, where a person accused of an offence and released on bail or on bond with or without sureties, fails to appear in Court without any sufficient cause in accordance with the terms of the bail or bond, the Court may after service of summons to the accused proceed with the inquiry or trial in his absence and the Court shall not be bound to recall or rehear any witness, whose evidence has already been recorded, or to reopen proceeding already held, but may act on the evidence already produced or recorded and continue the trial from the stage which the case has reached and pronounce judgement at the conclusion of trial."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 283 - 50